05.10.2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 10 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि अनवानी अपील दिनांक 17.06.2004 के आदेश के विरूद्व पेश की गयी थी। उक्त आदेश उप तहसीलदार गजसिंहपुर का मानकर अदालतवाला में पेश कर दी थी, जबकि अब रिकार्ड आने से मालूम हुआ कि आदेश दिनांक 17.06.2004 का आदेश ग्राम पंचायत संगराना का है। ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्व अपील उपखण्ड अधिकारी के समक्ष किये जाने का प्रावधान है। इसलिए उक्त अपील को वापिस कर सक्षम न्यायालय में पेश करने के लिए आदेश देना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 10 व 151 सीपीसी पेश कर अर्ज है कि उक्त अपील को वापिस लौटाते हुए सक्षम न्यायालय में पेश करने के आदेश प्रदान किये जावें।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि उक्त अपील ग्राम पंचायत संगराना के आदेश दिनांक 17.06.2004 के विरूद्व पेश की गई जिसको सुनने का क्षैत्राधिकार सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को है। उक्त अपील में सुनने का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय का ना होने के कारण अपील अपीलार्थी लौटाई जाती है। अतः अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित उप तहसीलदार को भिजवाई जावें एवं रिकार्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 05.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।